न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी :– इन्द्र सिंह राव, आई.ए.एस.

अपील सं. 25/2015/डिक्री

पखराम पिता लूम्बा मीणा – मृतक के बजाय
1. रम्भाबाई पत्नि पखराम मीणा
निवासी लक्ष्मीपुरा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़
2. जीतु पिता लुम्बा मीणा– मृतक के बजाय
1. हन्जा पत्नि जीतु मीणा
निवासी लक्ष्मीपुरा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़

–अपीलान्टस

बनाम

1. गुलाबी पिता रामेश्वरलाल अहीर
2. जानी पत्नि ऊंकारलाल अहीर
3. रामेश्वरलाल पिता ऊंकारलाल अहीर
सभी निवासी फाचर अहीरान तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़

–रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा
दिनांक 03.03.2015 प्रकरण सं. 329ए/2013

उपस्थित – 1. श्री छोगालाल जाट – अभिभाषक अपीलान्टस
2. श्री ऋषभ कुमार सेठिया – अभिभाषक रेस्पोडेन्टस

निर्णय दिनांक– 01.12.2017

1. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय मे रेस्पोडेन्टगण वादीगण ने अपीलान्टस के विरूद्ध वादपत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत दिनांक 27/06/1990 को पेश किया, जिसमे निवेदन किया कि ग्राम फाचर अहिरान तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ की आराजी नम्बर 703/772 रकबा 15 बीघा यह आराजी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के खातेदारी एवं कब्जे की है, रेस्पोडेन्ट संख्या 3 रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का पति व 2 का पुत्र है जो उक्त आराजीयात पर काश्त करते है व काबिज है उक्त आराजीयात के उत्तर मे लगी हुई अपीलान्ट संख्या 1 की खातेदारी की जमीन है। अपीलान्ट संख्या 2 अपीलान्ट संख्या 1 की खातेदारी की जमीन है। अपीलान्ट संख्या 2 अपीलान्ट संख्या 1 का भाई है जो दोनो अपीलान्ट संख्या 1 के खाते की जमीन पर काश्त करते है क्योकि रेस्पोडेन्ट संख 1 नौकरी करता है, करीब दो वर्ष से अपीलान्टस जबरन धीरे–धीरे करके रेस्पोडेन्ट वादीगण के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात के उत्तरी पश्चिमी भाग मे आग बढने लगे और इस साल तक अपीलान्टस ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1

व 2 की खातेदारी व कब्जे की आराजी संख्या 703/772 के उत्तरी पश्चिमी भाग मे 1 बीघा भूमि पर नाजायज कब्जा बिना किसी अधिकार के कर लिया। रेस्पोडेन्ट ने अपनी आराजी की मौके की दिनांक 20/05/1990 को पत्थरगढी करवायी जिससे स्पष्ट है कि अपीलान्टस ने रेस्पोडेन्टस की आराजी मे से 1 बीघा भूमि उत्तर पश्चिमी भाग वाली जमीन पर जबरन कब्जा कर रखा है जिसके हटाने व कब्जा छोडने के लिए रेस्पोडेन्ट वादीगण ने अपीलान्टस प्रतिवादीगण को तकाजा किया जो वह लडाई–झगडा करने को तैयार हुए एवं पत्थरगढी के पत्थर उखाड दिये। रेस्पोडेन्ट वादी ने अपीलान्टस प्रतिवादी द्वारा नाजायज कब्जेशुदा अपनी एक बीघा भूमि से उनका कब्जा हटाने व कब्जा पाने के अधिकारी है जिसके लिए दावा पेश कर निवेदन है कि रेस्पोडेन्ट वादीगण के पक्ष मे अपीलान्टस के खिलाफ मौजा फाचर अहिरान की आराजी नम्बर 703/772 रकबा 15 बीघा भूमि के उत्तर पश्चिमी भाग एक बीघा जिस कदर हिस्सा पर अपीलान्टस ने नाजायज कब्जा कर रखा है उसे हटाया जाकर कब्ला दिलाया जावे। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलान्टस प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलान्ट प्रतिवादीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाबदावा पेश किया दावे एवं जवाबदावे के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय ने तनकीयात कायम की एवं दोनो पक्षो की साक्ष्य लिवायी जाकर दिनांक 23/03/2001 को रेस्पोडेन्ट वादीगण के पक्ष मे वादपत्र डिक्री किया।

2. यह कि अपीलान्ट प्रतिवादी पखराम की दिनांक 17/10/2008 को मृत्यु हो चुकी थी एवं इससे पूर्व जीतु की दिनांक 13/11/2007 को ही मृत्यु हो चुकी थी जिससे प्रतिवादीग संख्या 1 व 2 दोनो की मृत्यु हो चुकी थी। प्रतिवादीगण की नाम कायम कराये बगैर मृतक के विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी जो प्राकृतिक न्याय के विपरीत होकर निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के न्यायालय से पत्रावली प्राप्त होने के पश्चात् दर्ज रजिस्टर की गयी, उस समय प्रतिवादीगण की मृत्यु हो चुकी थी व प्रतिवादीगण के वारिसान अपीलान्टस को पक्षकार मुकदमा कायम किये बगैर बिना नोटिस के निर्णय एवं डिक्री पारित गयी जिसकी अपीलान्टस को किसी प्रकार से जानकारी नही थी। दिनांक 26/08/2015 को पटवारी हल्का से हुई तत्पश्चात् प्रकरण की जानकारी कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु दिनांक 03/09/2015 को आवेदन प्रस्तुत किया जिसकी नकल दिनांक 07/09/2015 को प्राप्त हुयी तत्पश्चात् अपील अपीलान्ट अन्दर मयाद पेश है। विलम्ब को क्षम्य किये जाने हेतु धारा 5 का प्रार्थना पत्र भी पेश किया है। अतः अपील अपीलान्टस

स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 03/03/2015 को निरस्त की डिक्री प्रदान की जावे।

3. दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने बयान किया कि प्रकरण संख्या 88/1990 इसी भूमि को लेकर था जिसका निर्णय दिनांक 23/03/2001 को पारित किया गया जिसकी अपील राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ के न्यायालय मे क्रम संख्या 56/2001 दायर हुई जिसमे दिनांक 10/10/2002 को निर्णय पारित किया जाकर प्रकरण मे समुचित सुनवाई का निर्णय पारित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया। तत्पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय मे इस प्रकरण मे प्रतिवादीगण द्वारा इस आशय का प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था कि दौराने वाद वादी द्वारा भूमि विक्रित कर दी गई है उसे इसलिये वादी को वाद लाने का कोई अधिकार नही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादिया के हिस्से मे 15 बीघा भूमि एवं उसमे से 5 बीघा भूमि बेचान कर देने के पश्चात् ही 10 बीघा भूमि का खातेदार होने के कारण प्रतिवादीगण का उपरोक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 08/10/2003 को खारीज कर दिया गया । उक्त आदेश की रिवीजन माननीय राजस्व मण्डल अजमेर मे प्रस्तुत की गई जो क्रमांक 120/74/2003/टीए/चित्तौडगढ पर दर्ज हुई जिसका निर्णय दिनांक 14/12/2013 को रिवीजन सारहीन मानते हुए खारीज कर दिया गया। इस प्रकार माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित निर्णय के पश्चात् माननीय राजस्व मण्डल से दिनांक 29/04/2013 को पत्रावली अधीनस्स्थ न्यायालय को प्राप्त होने पर पत्रावली मे पुनः विधिवत कार्यवाही प्रारम्भ की गई। इसी दौरान प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की मृत्यु हो गई जिनके कायम मुकाम के सम्बन्ध मे एक आवेदन पत्र दिनांक 29/04/2013 को प्रस्तुत हुआ जो अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका पर उल्लेखित है परन्तु पत्रावली पर उल्लेखित नही है। उस प्रार्थना पत्र पर कोई निर्णय पारित नही हुआ तथा मृतक के विरूद्ध ही वाद चलता रहा तथा दिनांक 03/03/2015 को विस्तृत निर्णय पारित किया गया जिसकी अपील इस न्यायालय मे जैरकार है। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर की पत्रावली मे दिनांक 10/06/2013 नाम कायमी हेतु प्रार्थना पत्र पेश होने का उल्लेख है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृतक के विरूद्ध निर्णय पारित किया गया जो प्रारम्भ से ही शून्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे।

4. दौराने बहस वकील रेस्पोडेन्ट ने बयान किया कि रिवीजन के निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय की पत्रवली मे उपलब्ध है। कुल 9 वर्ष 11 माह तक अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली माननीय राजस्व न्यायालय मे चलती रही। दोनो प्रतिवादीगणो की मृत्यु

दौराने रिवीजन हुई है जिसके प्रति जिम्मेदारी रिवीजनकर्त्ता को थी। राजस्व मण्डल मे भी रिवीजन का निर्णय मृतक के विरूद्ध ही हुआ है। वादिया राजस्व मण्डल द्वारा गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया है। कमिश्नर रिपोर्ट जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे प्रदर्श–2 के रूप मे संलग्न है, को मानते हुए नाजायज कब्जा सही माना है। उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा न्यायालय द्वारा दिनांक 27/08/2013 को रजिस्ट्री कराई गई थी जिसमे तारीख पेशी दिनांक 16/09/2013 निर्धारित थी। प्रदर्श–3 नक्शा पत्थरगढी जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के पृष्ठ 26 पर उपलब्ध है। पूर्व सूचना होने के पश्चात् भी अपीलान्ट न्यायालय मे उपस्थित नही हुए। रम्भाबाई जो कि माननीय राजस्व मण्डल मे पक्षकार बन गई थी उसको तो कम से कम अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित होना चाहिये था। आदेश 22 नियम 4(4) मे प्रस्तुत अपील अवधि पार है। ऐसी स्थिति मे अपील खारीज होने योग्य है। अवधिपार के बिन्दू पर उनके द्वारा आरआरटी 2017(1) पेज 117, आरआरटी 2017 (2) पेज 1166, आरआरटी 2017 (1) पेज 711, आरआरटी 2015 (1) पेज 232, डीएनजे 2016 (1) पेज 201 राज. की नजीरे पेश की गई। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलान्ट की अपील अवधिपार एवं सारहीन होने के कारण खारीज करने की मांग की गई है।

5. बहस उभयपक्ष सुनी गई जिस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण मे यह निर्विवादित है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृतक प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णय पारित किया गया है जो कि विधिसम्मत नही है। ऐसी सूरत मे अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय प्रथम दृष्टया खारीज होने योग्य है। फलतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा द्वारा प्रकरण संख्या 329ए/2013 मे पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03/03/2015 अपास्त की जाकर प्रकरण मे विधिवत कायम मुकाम करते हुए दोनो पक्षो को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए गुणावगुण के आधार पर पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(इन्द्र सिंह राव)
आई.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़